

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1749/2013.....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान-मैसर्स मेहरसिंह हरवंश सिंह, श्रीगंगानगर वनाम् वा.क.अ., वृत्त-रायसिंहनगर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2014	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 14.06.2013, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें वा.क.अ., वृत्त-रायसिंहनगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से ₹7,28,129/-के विरुद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, ₹5,28,129/- की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक, एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा बहस हेतु दिनांक 11.06.2014 को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है ।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के संबंध में किसी प्रकार के कारणों का अंकन नहीं किया गया है, जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आने के कारण प्रथम दृष्टया ही अविधिक है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कथन किया कि राज्य के भीतर कर चुकाकर कच्चा माल क्रय किया गया जिसे विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त राह-उत्पाद भी प्राप्त हुये हैं । अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त कीत कच्चे माल के कुल कीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लागू विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, वसूली करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । इस संबंध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के श्री गणेश कौटन ट्रेडर्स बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 125 एस.टी.सी. 313 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बॉम्बे बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220, 113 एस.टी.सी. 385, (2004) 24 पीएचटी 222 प्रोद्धारित किया गया । <u>विशिट रूप से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सिविल पिटीशन नं. 9447/2012 मैसर्स रूची सोला इण्डस्ट्रीज लि. बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (2014) 21 वेट रिपोर्टर 173 निर्णय दिनांक 05.12.2013 को प्रोद्धारित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में कच्चे माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल (सह-उत्पाद) की विक्री मूल्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए अनुपातिक रूप से रिवर्स</u></p>	

16.06.2014

टैक्स आरोपित किये जाने संबंधी प्रतिपादित विधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1992) 2 एस.सी.सी. 579 के दृष्टिगत अनुपातिक आधार पर प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में विधिसम्मत होना नहीं अवधारित किया गया है। अतः प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विशिष्ट प्रावधान एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न परन्तुक अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:- ".....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section." इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापबंधन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धारित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुपातिक आधार पर "रिवर्स-टैक्स" की मांग राशियों का कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित होना अवधारित किया गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण के तथ्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत से समान होने के कारण तथा अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य व विधिक स्थिति भिन्न होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निरतारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

16.6.2014
(मदन लाल)
सदस्य